संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक/1–जी/विज्ञप्त/सेल–2/2015/ भोपाल, दिनांक /12/2015

// आदेश //

डॉ0 शालिनी (द्विवेदी) मिश्रा, चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय मुरैना ने संचालनालय में उपस्थित होकर दिनांक 10.12.2015 को समक्ष में सुनवाई के दौरान अवगत कराया है कि उनकी परस्थितियॉ अनुकूल हो गई है जिसके कारण वे अपने पद पर जिला चिकित्सालय मुरैना में बने रहना चाहती है जिसकी अनुमति चाही है।

डॉ0 शालिनी (द्विवेदी) मिश्रा, चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय मुरैना का दिनांक 12.08.2013 को दिया गया त्यागपत्र आवेदन विचारोपरांत अमान्य किया जाकर इनको जिला चिकित्सालय मुरैना में कार्य पर उपस्थित होने की अनुमति प्रदान की जाती है।

डॉ0 शालिनी (द्विवेदी) मिश्रा, चिकित्सा अधिकारी, द्वारा त्यागपत्र आवेदन प्रस्तुत किये जाने की दिनांक से इस आदेश के परिपालन में कार्य भार ग्रहण करने तक की अनाधिकृत अनुपस्थित अवधि को मूलभूत नियम 18 सहपठित मध्य प्रदेश सिविल सेवा (अवकाश) नियम 1977 के नियम 24 में किये गये प्रावधान के तहत अकार्य दिवस (डाईजनान) घोषित की जाती है ।उक्त अवधि किसी प्रायोजन हेतु मान्य नहीं होगी।

__स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित ।__

(शैलबाला मार्टिन)
अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

पृ. क्रमांक/1–जी/विज्ञप्त/सेल–2/2015/1945 भोपाल, दिनांक 30/12/2015

प्रतिलिपि – सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय भोपाल ।
2. संभागीय संयुक्त संचालक, ग्वालियर संभाग ग्वालियर मध्यप्रदेश।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, मुरैना मध्य प्रदेश।
4. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, मुरैना, मध्यप्रदेश ।
5. डॉ0 शालिनी (द्विवेदी) मिश्रा, चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय मुरैना
6. आदेश नस्ति ।

30/XII/15

अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,

मध्य प्रदेश

क्र./01 जी/विज्ञप्त/सेल–05/2015/ भोपाल, दिनांक /10/2015

–:: आदेश ::–

डॉ प्रभाकर सिरसाम, जिला परिवार कल्याण अधिकारी, जिला सिवनी दिनांक 07.01.2015 से बिना किसी पूर्व सूचना के कार्य से अनुपस्थित थे । दिनांक 03.11.2015 को डॉ प्रभाकर सिरसाम, द्वारा पुनः कार्यग्रहण करने की अनुमति प्रदान किए जाने संबंधी आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया।

विचारोपरांत, डॉ प्रभाकर सिरसाम, जिला परिवार कल्याण अधिकारी को पूर्ववत् जिला सिवनी में कार्यग्रहण करने की अनुमति प्रदान की जाती है। डॉ प्रभाकर सिरसाम, जिला परिवार कल्याण अधिकारी की दिनांक 07.01.2015 से इस आदेश के परिपालन में कार्यग्रहण करने के मध्य की अवधि को डाइजनॉन (अकार्य दिवस) मान्य किया जाता है।

स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित

(शैलबाला मार्टिन)
अपर संचालक(प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

पृ0क्र./01 जी/विज्ञप्त/सेल–05/2015/ 1886 भोपाल, दिनांक 17-12-15 ~~/10/~~ 2015

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन,लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,मंत्रालय,वल्लभ भवन भोपाल।
02. मिशन संचालक(एन0एच0एम0),कृषण भवन, जेल रोड, भोपाल।
03. संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें जबलपुर संभाग, म0प्र0।
04. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सिवनी म0प्र0।
05. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक,जिला चिकित्सालय सिवनी म0प्र0।
06. जिला कोषालय अधिकारी, जिला सिवनी म0प्र0।
07. उपरोक्त संबंधित अधिकारी डॉ प्रभाकर सिरसाम, जिला परिवार कल्याण अधिकारी, द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सिवनी म0प्र0।
08. प्रभारी एम0आई0एस0, विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
09. आदेश नस्ती।

17/XII/15

अपर संचालक(प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्य प्रदेश

क्र.01 / विज्ञप्त / सेल–संविदा / 15 / भोपाल, दिनांक / 10 / 2015

प्रति,

सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक,
जिला चिकित्सालय, देवास म.प्र.।

विषय – डी.एन.बी. कोर्स पूर्ण करने की अनुमति बाबत– डॉ. मुनमुन यादव, (स्त्री) चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय देवास।

संदर्भ:– आपका पत्र कमाक 4736 दिनांक 13.10.2015.

––000––

उपरोक्त विषय एवं संदर्भ में डॉ. मुनमुन यादव, (स्त्री) चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय देवास, को स्वयं के ब्यय पर डी.एन.बी. कोर्स पूर्ण करने की अनुमति प्रदान की जाती है। डॉ. मुनमुन यादव, चिकित्सा अधिकारी, की सेवा अवधि तीन वर्ष से कम होने के कारण डी.एन.बी. कोर्स पूर्ण करने की अवधि दिनांक 16.10.2015 से 30.06.2017 को मृत (डॉयजनॉन) दिवस मान्य किया जाता है।

//
(शैलबाला मार्टिन)
अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं,
मध्यप्रदेश 16-11-15

पृ0 क्र./01/विज्ञप्त/सेल–संविदा/15/1722 भोपाल, दिनांक / 10 / 2015

प्रतिलिपि:–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. प्रमुख सचिव, म0प्र0शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय,भोपाल
2. प्रमुख सचिव, म0प्र0शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय,भोपाल।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला देवास।
4. डॉ मुनमुन यादव, चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय देवास,मध्यप्रदेश।

13/XI/15
अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं,
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक / 1–जी / विज्ञप्त / सेल–2 / 2015 / 　　　　　　　　भोपाल, दिनांक 　/ 10 / 2015

// आदेश //

डॉ0 अंजना सिहं, स्त्री रोग विशेषज्ञ, सामुदयिक स्वास्थ्य केन्द्र नसरूलागंज जिला सीहोर का निजी कारण वर्तमान शासकीय सेवा से दिनांक 1.7.2015 से त्यागपत्र / स्वैच्छिक सेवानिवृति स्वीकृत करने का निवेदन किया था।

डॉ0 अंजना सिहं, स्त्री रोग विशेषज्ञ, सामुदयिक स्वास्थ्य केन्द्र नसरूलागंज जिला सीहोर ने संचालनालय में उपस्थित होकर दिनांक 12.10.2015 द्वारा अवगत कराया है कि उनकी परस्थितियॉं अनुकूल हो गई है जिसके कारण वे अपने पद पर बने रहना चाहती है ।

डॉ0 अंजना सिहं, स्त्री रोग विशेषज्ञ, सामुदयिक स्वास्थ्य केन्द्र नसरूलागंज जिला सीहोर का दिनांक 1.7.2015 को दिया गया त्यागपत्र / स्वैच्छिक सेवानिवृति आवेदन विचारोपरांत अमान्य किया जाकर इनको सामुदयिक स्वास्थ्य केन्द्र दौराहा जिला सीहोर में कार्य पर उपस्थित होने की अनुमति प्रदान की जाती है।

डॉ0 अंजना सिहं, स्त्री रोग विशेषज्ञ, द्वारा त्यागपत्र / स्वैच्छिक सेवानिवृति आवेदन प्रस्तुत किये जाने उपरात अनाधिकृत अनुपस्थित अवधि को मूलभूत नियम 18 सहपठित मध्य प्रदेश सिविल सेवा (अवकाश) नियम 1977 के नियम 24 में किये गये प्रावधान के तहत अकार्य दिवस (डाईजनान) घोषित की जाती है ।उक्त अवधि किसी प्रायोजन हेतु मान्य नहीं होगी।

स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित ।

(शैलबाला मार्टिन)
अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

पृ. क्रमांक / 1–जी / विज्ञप्त / सेल–2 / 2015 / 1626 　　　　भोपाल, दिनांक 28 / 10 / 2015
प्रतिलिपि – सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय भोपाल ।
2. संभागीय संयुक्त संचालक, भोपाल संभाग भोपाल मध्यप्रदेश।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सीहोर, मध्य प्रदेश।
4. डॉ0 अंजना सिहं, स्त्री रोग विशेषज्ञ, सामुदयिक स्वास्थ्य केन्द्र नसरूलागंज जिला सीहोर
5. आदेश नस्ति ।

28/10/15

अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश
आदेश

क्रमांक / 4 / शिका. /आर्म.ग्रु./ 2015/466/ भोपाल, दिनांक

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी मंदसौर के पत्र क्रमांक 3101, दिनांक 11.07.2014 के माध्यम से अवगत करवाया गया है कि डॉ.कपिल देव शर्मा, चिकित्सा अधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पिपल्यामंडी जिला मंदसौर दिनांक 01.05.2014 से अनधिकृत रूप से अनुपस्थित है। डॉ.शर्मा को अनुपस्थित रहने के आरोप में संचालनालय के ज्ञाप दिनांक 15.01.2015 के द्वारा आरोप पत्र जारी किया जाकर प्रतिवाद उत्तर प्राप्त किया गया।

डॉ.शर्मा को जारी आरोप पत्र का प्रतिवाद उत्तर उनके द्वारा दिनांक 04.02.2015 को प्रस्तुत किया गया जिसमें उल्लेख किया गया है कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी मंदसौर को उनका प्री.पी.जी. 2014 में चयन होने की सूचना दे दी गई थी । वर्तमान में डॉ.शर्मा गांधी मेडिकल कालेज भोपाल में डीजीओ में अध्ययनरत हैं तथा डिप्लोमा पूर्ण करने के उपरांत कर्त्तव्य पर उपस्थित होने हेतु निवेदन किया गया है।

अतः डॉ.कपिलदेव शर्मा,चिकित्सा अधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पिपलिया मण्डी जिला मंदसौर से प्राप्त अभ्यावेदन पर समग्र रूप से विचार किया गया। विचारोपरांत डॉ.शर्मा को गांधी मेडिकल कालेज भोपाल से पोस्ट ग्रेजुएशन (डी.जी.ओ.) अध्ययन किये जाने की स्वयं के व्यय पर अनुमति प्रदान की जाती है, तथा उक्त पाठयक्रम प्रारंभ होने के दिनांक से समाप्ति दिनांक तक की अवधि को अवैतनिक (असाधारण) (एल.डब्ल्यु.पी.) के रूप में स्वीकृत किया जाता है।

स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा आदेशित

(शैलबाला मार्टिन)
अपर संचालक(प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

पृ.क्रमांक / 4 / शिका. /आर्म.ग्रु./ 2015/466/. 199- भोपाल, दिनांक 23-10-15

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल मध्यप्रदेश ।
2. निज सहायक, स्वास्थ्य आयुक्त, स्थानीय कार्यालय।
3. संचालक चिकित्सा शिक्षा, म.प्र. भोपाल।
4. अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल।
5. कलेक्टर जिला मंदसौर।

6. अपर संचालक वित्त, स्थानीय कार्यालय।
7. उप संचालक विज्ञप्त/गोपनीय/लीगल शाखा, स्थानीय कार्यालय।
8. संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें उज्जैन संभाग उज्जैन।
9. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी मंदसौर/भोपाल।
10. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला मंदसौर म.प्र.।
11. जिला कोषालय अधिकारी भोपाल/मंदसौर, म.प्र.।
12. डॉ.कपिल देव शर्मा, चिकित्सा अधिकारी, डीजीओ.अध्ययनरत –द्वारा अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल!
13. प्रभारी एम.आई.एस.सेल, स्थानीय कार्यालय की ओर आदेश की प्रति भेजकर लेख किया जाता है कि जारी आदेश विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करें।
14. आदेश नस्ती।

21/8/15

अपर संचालक(प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

सतपुड़ा भवन भोपाल,म.प्र.

कमांक/2/अवि0/सेल-5/2015/ भोपाल, दिनांक /10/ 2015

:: आदेश ::

श्री सुभाष राव अवाड लेखापाल ,कार्यालय सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला उज्जैन का स्थानान्तरण संचालनालय स्वास्थ्य सेवाये म.प्र के आदेश कमांक 02/अवि/सेल-टीपी/2012/992-जी दिनांक 13.07.2012 द्वारा सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला उज्जैन से प्रशासकीय कार्य सुविधा की दृष्टि से मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी मन्दसौर के अधीन किया गया था । उक्त आदेश के पालन में श्री अवाड लेखापाल द्वारा स्थानान्तरित स्थान मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी मन्दसौर के अधीन कार्यभार ग्रहण नही किया । संचालनालय आदेश दिनांक 26.09.2013 द्वारा उक्त आदेश निरस्त होने के फलस्वरूप दिनांक 27.09.2013 को अपने मूल पद एवं पूर्व पदस्थापना स्थान कार्यालय सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक कार्यालय उज्जैन में कार्यभार ग्रहण कर लिया ।

श्री सुभाषराव अवाड लेखापाल द्वारा दिनांक 19.07.2012 से दिनांक 26.09.2013 तक कुल 436 दिवस का अवकाश चिकित्सकीय आधार पर अवकाश स्वीकृति हेतु प्रकरण चिकित्सा प्रमाणपत्र सहित प्रस्तुत किया , परीक्षण एवं विचारोपरान्त श्री अवाड की अवकाश अवधि दिनांक 19.07.2012 से दिनांक 26.09.2013 स्थानान्तरण बाधित है । अतः उक्त अवधि को अकार्य दिवस (डायजनान) घोषित किया जाता है । यह अवधि किसी प्रायोजन हेतु मान्य नही होगी ।

"स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित"

(शैलबाला मार्टिन)
अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

पृ.कमांक/अवि./सेल-5/2015/837-H भोपाल दिनांक 09 अक्टूबर 2015

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. संभागीय सयुंक्त संचालक,स्वास्थ्य सेवाये उज्जैन संभाग उज्जैन म.प्र ।
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी उज्जैन/मन्दसौर म.प्र ।
3. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला चिकित्सालय उज्जैन म.प्र ।
4. जिला कोषालय अधिकारी जिला उज्जैन म.प्र ।
5. श्री सुभाष राव अवाड लेखापाल कार्यालय सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला चिकित्सालय उज्जैन म.प्र ।

08/10/15

अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक/4/शिका./अना.अनु/फा.न.66/ भोपाल दिनांक /10/2015

आदेश

डॉ.कमला आर्य, नेत्र रोग विशेषज्ञ, जिला चिकित्सालय पन्ना, वर्तमान में सिविल अस्पताल महू जिला इन्दौर, दिनांक 29.08.2009 से बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने की सूचना मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पन्ना द्वारा दिनांक 16.11.2009 के माध्यम से प्राप्त हुई। डॉ. आर्य की अनुपस्थित रहने के आरोप में इन्हें ज्ञाप दिनांक 28/01/2010 द्वारा कारण बताओं नोटिस एवं आरोप–पत्र जारी कर प्रतिवाद उत्तर प्राप्त किया गया।

डॉ.कमला आर्य द्वारा प्रस्तुत प्रतिवाद उत्तर में अवगत करवाया गया है कि उनकी अस्वस्थता के कारण मेडिकल बोर्ड इन्दौर द्वारा दिनांक 29.08.2009 से 28.06.2010 तक पूर्ण विश्राम की सलाह दिये जाने के कारण वे अपने कर्त्तव्य से अनुपस्थित रहीं, डॉ.कमला आर्य द्वारा प्रस्तुत प्रतिवाद उत्तर समाधानकारक न पाये जाने पर इनके विरूद्ध आदेश दिनांक 20.09.2011 द्वारा विभागीय जांच संस्थित की गई। जांच अधिकारी ने जांच प्रतिवेदन दिनांक 03.10.2012 को प्रस्तुत किया गया जिसमें डॉ.कमला आर्य के विरूद्ध अधिरोपित आरोप आंशिक रूप से सिद्ध पाया गया।

डॉ.कमला आर्य के विभागीय जांच प्रकरण में निर्णय लिये जाने के पूर्व इन्हें दिनांक 28.09.2015 को समक्ष में व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया। सुनवाई के दौरान यह तथ्य संज्ञान में आया कि डॉ.कमला आर्य की अनुपस्थिति अवधि का संबंध उनकी इच्छित पदस्थापना स्थल पर न होने से स्वयं की बीमारी का कारण बताते हुये अनुपस्थिति रही हैं। प्रकरण का सुक्ष्म परीक्षण करने तथा चिकित्सा विशेषज्ञ द्वारा चिकित्सा प्रमाण–पत्रों का परीक्षण कर यह तथ्य प्रकाश में आया कि डॉ.कमला आर्य ने स्वयं की बीमारी के संबंध में चिकित्सा प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किये थे उनके द्वारा अनाधिकृत अनुपस्थिति अवधि का प्रमाणीकरण भी इनके द्वारा नही किया गया।

डॉ.कमला आर्य के विरूद्ध संस्थित विभागीय जांच प्रकरण में जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन तथा डॉ.आर्य द्वारा प्रस्तुत चिकित्सा प्रमाण–पत्रों का समग्र रूप से परीक्षण किया गया। परीक्षण उपरांत डॉ.कमला आर्य का प्रतिवाद उत्तर समाधानकारक नहीं पाया गया।

अतः एतद् आदेश द्वारा डॉ.कमला आर्य, नेत्र रोग विशेषज्ञ, जिला चिकित्सालय पन्ना, वर्तमान में सिविल अस्पताल महू जिला इन्दौर की अनाधिकृत अनुपस्थिति अवधि दिनांक 29.08.2009 से 28.06.2010 तक को अकार्य दिवस (**Dies-non**) घोषित किया जाकर प्रकरण समाप्त किया जाता हैं।

(स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा आदेशित)

(शैलबाला मार्टिन)
अपर संचालक(प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्य प्रदेश

पृ.क.क्रमांक/4/शिका./अना.अनु./फा.न 66/189 – भोपाल दिनांक 07/10/2015

प्रतिलिपिः–

1. निज सहायक, माननीय स्वास्थ्य मंत्री म.प्र.शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
2. सचिव म.प्र.शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
3. निज सहायक,स्वास्थ्य आयुक्त स्थानीय कार्यलय।
4. कलेक्टर, जिला पन्ना/इन्दौर म.प्र.।
5. संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें,सागर/इन्दौर।
6. उप संचालक (विज्ञप्त) स्वास्थ्य सेवायें, स्थानीय कार्यलय।
7. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पन्ना/इन्दौर।
8. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक पन्ना/इन्दौर।
9. जिला कोषालय अधिकारी पन्ना/इन्दौर।
10. डॉ.कमला आर्य, नेत्र रोग विशेषज्ञ, सिविल अस्पताल महू जिला इन्दौर,।
11. प्रभारी एम.आई.एस.सेल,स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता हैं कि आदेश पत्र की प्रति विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करें।
12. आदेश नस्ति।

08/X/15

अपर संचालक(प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्य प्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक/4/शिका./अना.अनु/फा.न.422/   भोपाल दिनांक   /10/2015

आदेश

डॉ.वर्षा राय, चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय, कटनी की दिनांक 28.12.2011 से सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने की सूचना मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला कटनी के पत्र दिनांक 01.06.2013 के माध्यम से प्राप्त हुई। डॉ.वर्षा राय द्वारा उनकी अनाधिकृत अनुपस्थिति के निराकरण के संबंध में निवेदन किया गया।

डॉ.वर्षा राय के अभ्यावेदन पर विचार किया गया तथा उन्हें दिनांक 21.09.2015 को समक्ष में सुनवाई हेतु अवसर प्रदान किया गया सुनवाई के समय उनके द्वारा बताया गया कि स्थानांतरित स्थल पर बीमारी के कारण उपस्थित नहीं हो सकी। उपलब्ध अभिलेखों का परीक्षण एवं प्रकरण का समग्र रूप से विचार किया गया विचारोपरांत डॉ.वर्षा राय की दिनांक 28.12.2011 से 10.01.2013 तक की अनाधिकृत अनुपस्थित अवधि स्थानांतरण से बाधित होने अपने, कर्त्तव्य से पूर्व बिना सूचना दिये अनुपस्थिति रहने तथा वरिष्ठ कार्यालय के आदेशों की अवहेलना करने का दोषी पाया गया है।

अतः विचारोपरान्त प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में डॉ.वर्षा राय, चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय, कटनी की अनाधिकृत अनुपस्थिति अवधि दिनांक 28.12.2011 से कार्य पर उपस्थित होने के दिनांक तक की अवधि को अकार्य दिवस (**Dies-non**) घोषित किया जाकर प्रकरण समाप्त किया जाता हैं।
(स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा आदेशित)

(शैलबाला मार्टिन)
अपर संचालक(प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्य प्रदेश

पृ.क.क्रमांक/4/शिका./अना.अनु./फा.न 422/181— भोपाल दिनांक 07/10/2015
प्रतिलिपिः—

1. निज सहायक, माननीय स्वास्थ्य मंत्री म.प्र.शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
2. सचिव म.प्र.शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
3. निज सहायक,स्वास्थ्य आयुक्त स्थानीय कार्यलय।
4. कलेक्टर, जिला कटनी/इन्दौर म.प्र.।
5. संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, जबलपुर/इन्दौर।
6. उप संचालक (विज्ञप्त) स्वास्थ्य सेवायें, स्थानीय कार्यलय।

7. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कटनी / इन्दौर।
8. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक कटनी / इन्दौर।
9. जिला कोषालय अधिकारी कटनी / इन्दौर।
10. डॉ.वर्षा राय, चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सावेर जिला इन्दौर।
11. प्रभारी एम.आई.एस.सेल,स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता हैं कि आदेश पत्र की प्रति विभागीय बेबसाइट पर अपलोड करें।
12. आदेश नस्ति।

06/8/15

अपर संचालक(प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्य प्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं

मध्यप्रदेश

क्रमांक /2/अवि./सेल–डी.पी.सी./2015/815-H भोपाल, दिनांक 05/10/2015

//आदेश//

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें के आदेश क्रमांक/2/अवि./सेल–डी.पी.सी./1998/15444, दिनांक 17.09.1998 के सरल क्रमांक 8 पर अंकित श्री आर.पी.बड़कुर की पदोन्नति नॉन मेडिकल असिस्टेंट से नॉन मेडिकल सुपरवाईजर के पद पर करते हुये उनकी पदस्थापना मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला होशंगाबाद से मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नरसिंहपुर के अधीन की गई थी ।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला होशंगाबाद ने आदेश क्रमांक/स्था./99/3698–3703, दिनांक 15.03.1999 द्वारा श्री आर.पी.बड़कुर को नरसिंहपुर के लिये कार्यमुक्त किया गया। जिसके पालन में श्री बड़कुर द्वारा दिनांक 24.03.1999 को जिला नरसिंहपुर में अपनी उपस्थिति दी। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नरसिंहपुर के अधीन एन.एम.एस का पद रिक्त नहीं होने के कारण संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें को वस्तुस्थिति से पत्र दिनांक 24.03.1999 के द्वारा अवगत कराया गया। संचालनालय के आदेश दिनांक 27.05.1999 द्वारा उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुये श्री आर.पी.बड़कुर को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सीहोर के अधीन पदस्थ किया गया।

श्री आर.पी.बड़कुर ने उक्त आदेश के पालन में दिनांक 28.05.1999 को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सीहोर में उपस्थिति दी परन्तु जिला सीहोर में एन.एम.एस का पद रिक्त न होने कारण मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सीहोर के पत्र क्रमांक /स्था./2/99/5108, दिनांक 28.05.1999 द्वारा संचालनालय से मार्गदर्शन प्राप्त होने पर संबंधित कर्मचारी की उपस्थिति मान्य किये जाने के संबंध में उसे अवगत करवाया गया।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सीहोर में एन.एम.एस. का पद रिक्त न होने के कारण संचालनालय के आदेश दिनांक 27.05.1999 में संशोधन कर आदेश क्रमांक 994–ओ, दिनांक 19.07.2002 द्वारा श्री आर.पी.बडकुर, को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला होशंगाबाद के अधीन पदस्थ किया गया । जिसके पालन में श्री आर.पी.बडकुर द्वारा दिनांक 24.07.2002 को नॉन मेडिकल सुपरवाईजर के पद पर जिला होशंगाबाद में कार्यभार ग्रहण किया ।

श्री आर.पी.बड़कुर, एन.एम.एस द्वारा दिनांक 15.03.1999 से 23.07.2002 तक की अवधि को कार्यअवधि मानने एवं वेतन की मांग की जा रही है। इस संबंध में उनके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में याचिका क्रमांक 13514/10 दायर की गई जो वर्तमान में लंबित है।

अतः उक्त प्रकरण के निराकरण हेतु दिनांक 21.09.2015 को स्वास्थ्य आयुक्त के समक्ष श्री आर.पी.बड़कुर उपस्थित हुए । श्री बड़कुर द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो एवं तथ्यों के आधार पर दिनांक 15.03.1999 से 23.07.2002 तक की अवधि को कार्यअवधि मान्य की जाकर इनके वेतन, फिक्सेशन आदि का नियमानुसार 30 दिवस के अन्दर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, होशंगाबाद निराकरण करें।

"स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित"

03/10/15

(शैलबाला मार्टिन)
अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

Desktop/DPC/ DPC Order

पृ. क्रमांक /2/अवि./सेल–डी.पी.सी./2015/ 816-H भोपाल, दिनांक 05/10/2015

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1. संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें कुष्ठ, स्थानीय कार्यालय।
2. उप संचालक, लीगल, स्थानीय कार्यालय की ओर याचिका कमांक 13514/2010 के सन्दर्भ में सूचनार्थ।
3. संचालक एम.आई.एस, स्थानीय कार्यालय।
4. संभागीय, संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवायें भोपाल संभाग भोपाल, मध्यप्रदेश।
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी होशंगाबाद की ओर उनके पत्र कमांक/लीगल/2010/19087, दिनांक 14.12.2010 के सन्दर्भ में प्रेषित।
6. श्री आर.पी.बड़कुर, एन.एम.एस, द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला होशंगाबाद, मध्यप्रदेश।

अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

Desktop/ DPC Order

(94)

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक / 1-जी / विज्ञप्त / सेल-2 / 2015 / 899 / भोपाल, दिनांक 29-6-15 /3/2015

:: आदेश ::

डॉ0 श्रीमती संध्या नेमा, तत्कालीन चिकित्सा अधिकारी छिंदवाड़ा द्वारा बिना पूर्व अनुमति के दिनांक 14.2.2006 से 10.2.2007 तक सउदी अरब गणराज्य में रहकर सेवायें प्रदान की है जिसके संबंध में इनको कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसका प्रतिवाद उत्तर सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, छिंदवाड़ा के माध्यम से प्राप्त हुआ है ।

डॉ0 श्रीमती संध्या नेमा, अपने कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होकर बिना अनुमति के विदेश यात्रा की एवं सउदी अरब गणराज्य में रहकर सेवायें प्रदान की है । डॉ0 श्रीमती नेमा अपने पदीय दायित्व एवं निर्वहन के प्रति गंभीर नहीं थी तथा शासकीय नियमों का उल्लघन किया है इनका यह कृत्य मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम का उल्लघन होकर कदाचरण की श्रेणी में आता है।

डॉ0 श्रीमती संध्या नेमा, के प्रतिवाद उत्तर का परीक्षण किया गया, प्रतिवाद उत्तर संतोषजनक नहीं पाये जाने कारण अनुशासनात्मक कार्यवाही के तहत अनाधिकृत अनुपस्थित एवं शासकीय कार्य के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता बरतने के कारण मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10 (4) के अन्तर्गत दो वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने की शास्ति अधिरोपित की जाती है। तथा प्रश्नाधीन अवधी दिनांक 14.2.2006 से 10.2.2007 तक मूलभूत नियम 18 सहपठित मध्य प्रदेश सिविल सेवा (अवकाश) नियम 1977 के नियम 24 में किये गये प्रावधान के तहत अकार्य दिवस (डाईजनान) घोषित की जाती है।

स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित ।

27/6/15
(शैलबाला मार्टिन)
अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

पृ. क्रमांक / 1-जी / विज्ञप्त / सेल-2 / 2015 / भोपाल, दिनांक /3/2015

प्रतिलिपि – सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. सचिव, मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय भोपाल ।
2. संभागीय संयुक्त संचालक, जबलपुर / उज्जैन संभाग मध्य प्रदेश।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, छिंदवाड़ा / देवास, मध्यप्रदेश।
4. डॉ0 श्रीमती संध्या नेमा, द्वारा सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, देवास ।
5. आदेश नस्ति ।

अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्य प्रदेश

क्रमांक/1–जी/विज्ञप्त/सेल–2/2015/ 1336 भोपाल दिनांक 9.9.2015

प्रति,

संभागीय संयुक्त संचालक,
स्वास्थ्य सेवायें,
जबलपुर संभाग जबलपुर म0प्र0।

विषय :–न्यायालयीन प्रकरण याचिका कमांक डब्ल्यु0पी0 कमांक 2098/2013 डॉ0 श्रीमती संध्या नेमा, तत्कालीन चिकित्सा अधिकारी छिंदवाड़ा विरूध मध्यप्रदेश शासन के संबंध में

सन्दर्भ :– आपका पत्र कमांक/लीगल/2015/7527 दिनांक 26.8.2015

–0–

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं सन्दर्भित पत्र द्वारा न्यायालय प्रकरण कमांक डब्ल्यु.पी. 2098/13 डॉ0 श्रीमती संध्या नेमा, चिकित्सा अधिकारी छिंदवाड़ा के दिनांक 14.7.2006 से 10.7.2007 तक का अवकाश स्वीकृत किया जाकर प्रकरण का निराकरण किये जाने का उल्लेख किया गया है ।

प्रकरण का निराकरण किया गया है संचालनालय स्वास्थ्य सेवाये, के आदेश कमांक 1/जी/विज्ञप्त/ सेल–2/1 5/899 दिनांक 29.6.2015 द्वारा डॉ0 श्रीमती संध्या नेमा, चिकित्सा अधिकारी का दिनांक 14.7.2006 से 10.7.2007 तक अवधि को अकार्य दिवस के रूप में स्वीकृत कर आदेश जारी किये गये है जिसकी सूचना अग्रिम कार्यवाही हेतु सभी संबंधित कार्यलयो के साथ आपको भी पृष्ठांकित की गई है। सुलभ सन्दर्भ हेतु आवश्यक कार्यवाही पुनः संलग्न कर लेख है माननीय न्यायालय को अवगत कराते हुए जवाबदावें की कार्यवाही सुनिश्चित करें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

08/9/15

(शैलबाला मार्टिन)
अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र

पृ. क्रमांक/1–जी/विज्ञप्त/सेल–2/2015/ 1337 भोपाल, दिनांक 9/9/2015

प्रतिलिपि – सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. शासकीय अधिवक्ता, उच्च न्यायालय जबलपुर संभाग जबलपुर, मध्यप्रदेश ।
2. उप संचालक,लीगल शाखा स्थानीय कार्यालय ।

अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र.

नि.सहा./स्वा. आयुक्त/ 1656
दिनांक 16/9/15

मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय
:: संशोधित आदेश ::

भोपाल, दिनांक 10/09/2015

कमांक 2088/3264/2015/सत्रह/मेडि–1:: राज्य शासन एतद् द्वारा डॉ. आलोक श्रीवास्तव, चिकित्सा अधिकारी, ग्वालियर को अनाधिकृत अनुपस्थित की अवधि दिनांक 16.12.2012 से 10.12.2014 को Brak in service करते हुये डॉ. श्रीवास्तव को ट्रामा सेंटर शिवपुरी में पदस्थ किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(डॉ. गनी अहमद खान)
अवर सचिव
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,
मध्यप्रदेश शासन

उप. संचा. (प्रशा.) 7828
दिनांक 18/9/15

कमांक 2089/3264/2015/सत्रह/मेडि–1 भोपाल, दिनांक 10/09/2015
प्रतिलिपिः–

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर।
2. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाऐं, मध्यप्रदेश संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं।
3. संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, ग्वालियर।
4. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, शिवपुरी/ग्वालियर।
5. सिविल सर्जन, ट्रामा सेंटर, जिला शिवपुरी।
6. सिविल सर्जन, ग्वालियर।
7. कोषालय अधिकारी, जिला शिवपुरी/ग्वालियर।
8. डॉ. आलोक श्रीवास्तव, 155, सरस्वती नगर, यूनिवर्सिटी रोड, ग्वालियर, म.प्र.।
9. आर्डर बुक।

अवर सचिव
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,
मध्यप्रदेश शासन

ADSM)
15/9
18/9/15

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,

मध्य प्रदेश

भोपाल, दिनांक /09/2015

क्र./01 जी/विज्ञप्त/सेल–05/2015/

–:: आदेश ::–

डॉ तरूणा शर्मा, चिकित्सा अधिकारी, डी0जी0ओ0, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बण्डा जिला सागर की पदस्थापना एतद् द्वारा तत्काल प्रभाव से अन्य आगामी आदेश तक जिला चिकित्सालय सागर की जाती है।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बण्डा जिला सागर से डॉ तरूणा शर्मा, की अनुपस्थिति अवधि को अकार्य दिवस (डाइजनॉन) मान्य किया जाता है।

स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित

(शैलबाला मार्टिन)
अपर संचालक(प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 18/09/2015

पृ0क्र./01 जी/विज्ञप्त/सेल–05/2015/1388

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01 विशेष सहायक मान. मंत्री जी लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
02. विशेष सहायक मान. राज्य मंत्री जी लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
03. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन,लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,मंत्रालय,वल्लभ भवन भोपाल।
04. मिशन संचालक(एन0आर0एच0एम0/आर0सी0एच0),कृषण भवन, जेल रोड, भोपाल।
05 संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें सागर संभाग, म0प्र0।
06. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सागर म0प्र0।
07. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला चिकित्सालय सागर म0प्र0।
08. जिला कोषालय अधिकारी, जिला सागर म0प्र0।
09. उपरोक्त संबंधित अधिकारी डॉ तरूणा शर्मा, चिकित्सा अधिकारी, डी0जी0ओ0, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बण्डा, द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सागर म0प्र0।
10. प्रभारी एम0आई0एस0, विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
11. आदेश नस्ती।

18/9/2015

अपर संचालक(प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक / 1–जी / विज्ञप्त / सेल–2 / 2015 / भोपाल, दिनांक /9/2015

:: संशोधित आदेश ::

संचालनालय के आदेश कमांक 1–जी / विज्ञप्त / सेल–2 / 1228–29 दिनांक 24.8.2015 के द्वारा डॉ0 सीमा सिहं, चिकित्सा अधिकारी, क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र जबलपुर को दिनांक 01.12.2015 से 19.09.2016 तक असाधारण (अवैतनिक) अवकाश स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन कर मध्यप्रदेश सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 1977 में वित्त विभाग की अधिसूचना मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 22.8.2015 द्वारा बालचर्या अवकाश का प्रावधान किया गया है जिसके संन्दर्भ डॉ0 सीमा सिहं, को दिनांक 01.12.2015 से 19.09.2016 तक बालचर्या अवकाश स्वीकृत किया जाता है ।

स्वास्थ्य आयुक्त,म.प्र. द्वारा अनुमोदित ।

(शैलबाला मार्टिन)
अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

पृ. क्रमांक / 1–जी / विज्ञप्त / सेल–2 / 2015 / 1333 भोपाल, दिनांक 8/9/2015
प्रतिलिपि – सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय भोपाल ।
2. संभागीय संयुक्त संचालक, जबलपुर संभाग जबलपुर मध्यप्रदेश।
3. प्राचार्य, क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र जबलपुर मध्य प्रदेश।
4. डॉ0 सीमा सिहं, चिकित्सा अधिकारी, क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र जबलपुर
5. आदेश नस्ति ।

08/IX/15

अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक / 1–जी / विज्ञप्त / सेल–2 / 2015 /   भोपाल, दिनांक   / 08 / 2015

// आदेश //

डॉ0 अशुतोष बांगरे, चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय, बालाघाट की नियुक्ति शासन आदेश कमांक एफ–2–9 / 2013 / सत्रह / मेडि–1 दिनांक 14.8.2013 द्वारा बालाघाट जिले में हुई थी। दिनांक 5.1.2015 से पारिवारिक कारणों से अनुपस्थित रहे है सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, बालाघाट द्वारा डॉ0 अशुतोष बांगरे, चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय, बालाघाट का आवेदन प्रस्तुत कर पुनः कार्य पर उपस्थित कराने हेतु अनुमति चाही है

डॉ0 अशुतोष बांगरे, चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय, बालाघाट को पुनः कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति प्रदान की जाती है इनकी अनुपस्थित अवधि को दिनांक 5.1.2015 से पुनः कार्यभार ग्रहण करने के मध्य की अवधि को अकार्य दिवस (डाईजनान) घोषित की जाती है यह अवधि किसी प्रायोजन हेतु मान्य नहीं होगी।

स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित ।

(शैलबाला मार्टिन)
अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

क्रमांक / 1–जी / विज्ञप्त / सेल–2 / 2015 / 1239   भोपाल, दिनांक 25 / 08 / 2015

प्रतिलिपि – सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल म.प्र.।
2. संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, जबलपुर संभाग जबलपुर. ।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बालाघाट मध्य प्रदेश ।
4. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, बालाघाट
4. डॉ0 अशुतोष बांगरे, चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय, बालाघाट, म.प्र.।
5. आदेश नस्ति ।

25/8/15

अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक/1–जी/विज्ञप्त/सेल–2/2015/ भोपाल, दिनांक /08/2015

// आदेश //

डॉ0 के0पी0 गुप्ता, चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सभागंज सतना ने पारिवारिक कारणों से दिनांक 07.02.2015 से त्यागपत्र आवेदन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सतना के माध्यम से प्रस्तुत किया गया था।

डॉ0 के0पी0 गुप्ता, चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सभागंज सतना ने दिनांक 23.07.2015 को आवेदन प्रस्तुत कर अवगत कराया गया है कि उनकी वर्तमान में पारिवारिक परस्थितियां अनुकूल हो गयी है जिसके कारण त्यागपत्र आवेदन वापिस लेते हुए पुनः शासकीय सेवा मे कार्यभार ग्रहण करना चाहते जिसकी अनुमति चाहो गयी है।

डॉ0 के0पी0 गुप्ता, चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सभागंज सतना का त्यागपत्र स्वीकृत पर निर्णय नहीं हुआ है। अतः उनके आवेदन पत्र पर विचारोपरांत म.प्र. सिविल सर्विसेस (पेंशन) रूल्स, 1976 के नियम 24 (10) (1) के अर्न्तगत डॉ0 के0पी0 गुप्ता, को उनके द्वारा प्रस्तुत त्यागपत्र आवेदन दिनांक 07.02.2015 अमान्य किया जाकर पुनः कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

डॉ0 के0पी0 गुप्ता, चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सभागंज सतना का त्यागपत्र आवेदन दिनांक से पुनः कार्यभार ग्रहण करने के मध्य की अवधि को अकार्य दिवस (डाईजनान) घोषित की जाती है यह अवधि किसी प्रायोजन हेतु मान्य नहीं होगी।

स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित ।

(शैलबाला मार्टिन)
अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

क्रमांक/1–जी/विज्ञप्त/सेल–2/2015/ 1241 भोपाल, दिनांक 25/08/2015
प्रतिलिपि – सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल म.प्र.।
2. संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, रीवा संभाग रीवा ।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सतना मध्य प्रदेश ।
4. डॉ0 के0पी0 गुप्ता, चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सभागंज सतना, म.प्र.।
5. आदेश नस्ति ।

25/VIII/15

अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक/1–जी/विज्ञप्त/सेल–2/2015/ भोपाल, दिनांक /8/2015

:: आदेश ::

डॉ0 श्रीमती सीमा जोशी, मोर्य, चिकित्सा अधिकारी, सामुदयिक स्वास्थ्य केन्द्र औबेदुल्लागंज, जिला रायसेन के तत्कालीन पदस्थापना सामुदयिक स्वास्थ्य केन्द्र बाजना, रतलाम की अवधि दिनांक 10.9.2004 से 8.6.2005 तक चिकित्सीय अवकाश के रूप में निराकरण हेतु निवेदन किया गया है।

अतः डॉ0 श्रीमती सीमा जोशी, मोर्य, चिकित्सा अधिकारी, सामुदयिक स्वास्थ्य केन्द्र औबेदुल्लागंज, जिला रायसेन के तत्कालीन अवधि दिनांक 10.09.2004 से 08.06.2005 तक अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित अवधि को मूलभूत नियम 17–ए सहपठित मध्य प्रदेश सिविल सेवा पेंशन नियम 1976 के नियम 27 में किये गये प्रावधान के तहत अकार्य दिवस (डाईजनान) घोषित की जाती है यह अवधि किसी प्रायोजन हेतु मान्य नहीं होगी।

प्रमुख सचिव, लो.स्वा.एवं परि.क. द्वारा अनुमोदित ।

(शैलबाला मार्टिन)
अपर संचालक (प्रशासन),
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

पृ. क्रमांक/1–जी/विज्ञप्त/सेल–2/2015/1237 भोपाल, दिनांक 25/8/2015

प्रतिलिपि – सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय ।
2. संभागीय संयुक्त संचालक, भोपाल/उज्जैन संभाग ग्वालियर मध्य प्रदेश।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रायसेन/रतलाम मध्यप्रदेश।
4. डॉ0 श्रीमती सीमा जोशी, मोर्य, चिकित्सा अधिकारी, सामुदयिक स्वास्थ्य केन्द्र औबेदुल्लागंज, जिला रायसेन
5. आदेश नस्ति ।

25/VIII/15

अपर संचालक (प्रशासन),
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक / 4 / शिका. / अना.अनु / फा.223 / भोपाल दिनांक / 08 / 2015

आदेश

डॉ0 डी.एन.पाठक, चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय छतरपुर को मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय के आदेश कमांक एफ 13–51 / 2004 / 17 दिनांक 31.01.2005 द्वारा सेवा से पदच्युत (DISMISS) किए जाने के फलस्वरूप उक्त आदेश के विरूद्ध डॉ0 डी.एन.पाठक, चिकित्सा अधिकारी, छतरपुर द्वारा उच्च न्यायालय जबलपुर में याचिका कमांक 496 / 2012 प्रस्तुत की गई। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण में पारित निर्णय दिनांक 16 / 07 / 12 के पालन में डॉ0 डी.एन.पाठक द्वारा दिनांक 31 / 07 / 2012 को कार्यग्रहरण किये जाने के फलस्वरूप डॉ0 डी.एन.पाठक, चिकित्सा अधिकारी, का दिनांक 31 / 01 / 2005 से दिनांक 30 / 07 / 2012 तक असाधारण अवकाश स्वीकृत किया जाता हैं।

(स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा आदेशित)

(शैलबाला मार्टिन)
अपर संचालक(प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्य प्रदेश

क्रमांक / 4 / शिका. / अना.अनु / फा.223 / 154 – भोपाल दिनांक 22 / 08 / 2015

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. सचिव म.प्र.शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
2. निज सहायक,स्वास्थ्य आयुक्त मध्यप्रदेश स्थानीय कार्यालय की ओर सूचनार्थ।
3. कलेक्टर, जिला छतरपुर म.प्र.।
4. संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, सागर।
5. उप संचालक (विज्ञप्त) स्वास्थ्य सेवायें, स्थानीय कार्यलय।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, छतरपुर।
7. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल छतरपुर।
8. जिला कोषालय अधिकारी छतरपुर।
9. डॉ0 डी.एन.पाठक, चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय छतरपुर।
10. प्रभारी एम.आई.एस.सेल,स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता हैं कि आदेश पत्र की प्रति विभागीय बेबसाइट पर अपलोड करें।
11. आदेश नस्ति।

(शैलबाला मार्टिन)
अपर संचालक(प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्य प्रदेश

क्र./01 जी/विज्ञप्त/सेल–05/2015/ भोपाल, दिनांक /08/2015

–:: आदेश ::–

डॉ अंशु दुबे, चि0अ0, डी0जी0ओ0 , जिला चिकित्सालय मुरैना से दिनांक 01.08.2012 से अनाधिकृत अनुपस्थित थी, डॉ अंशु दुबे, चि0अ0 द्वारा पुनः कार्यग्रहण करने हेतु दिनांक 29.07.2015 को आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसमें पारिवारिक कारणों से अनुपस्थित रहने के संबंध में लेख किया गया ।

जिला चिकित्सालय मुरैना में स्त्रीरोग योग्यता की चिकित्सकों की आवश्यकता के दृष्टिगत् डॉ अंशु दुबे, चि0अ0 को कर्तव्य पर उपस्थित होने की अनुमति प्रदान की जाती है एवं इनकी अनुपस्थिति दिनांक 01.08.2012 से इस आदेश के पालन में जिला चिकित्सालय मुरैना में कार्यग्रहण करने की दिनांक तक के मध्य की अवधि को "अकार्य दिवस" डाइजनॉन मान्य किया जाता है।

स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित

(शैलबाला मार्टिन)
अपर संचालक(प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

पृ0क्र./01 जी/विज्ञप्त/सेल–05/2015/1209 भोपाल, दिनांक 21/08/2015

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय,भोपाल,म0प्र0।
02. संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर म0प्र0।
03. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला मुरैना , म0प्र0।
04. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला चिकित्सालय मुरैना, म0प्र0 ।
05. संबंधित डॉ अंशु दुबे, चि0अ0, डी0जी0ओ0 , जिला चिकित्सालय मुरैना द्वारा सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला चिकित्सालय मुरैना म0प्र0।
06. प्रभारी एम0आई0एस0, विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
07. आदेश नस्ती।

21/8/15

अपर संचालक(प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

—::: आदेश :::—

भोपाल, दिनांक 18/08/2015,

क्रमांक 1889/3264/2015/सत्रह/मेडि—1, ::: राज्य शासन, एतद् द्वारा — डॉ0 आलोक श्रीवास्तव, चिकित्सा अधिकारी ग्वालियर को अनाधिकृत अनुपस्थिति की अवधि दिनांक 16.12.2012 से 10.12.2014 को Brak in Service करते हुए डॉ0 श्रीवास्तव को ट्रामा सेंटर शिवपुरी में पदस्थ किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(डॉ0 गनी अहमद खान)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,

पृ0क्रमांक 1890 /3264/2015/सत्रह/मेडि—1, भोपाल, दिनांक 18/08/2015,
प्रतिलिपि :—

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर।
2. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाऐं, मध्यप्रदेश, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं।
3. संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, ग्वालियर/मुरैना।
4. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी शिवपुरी।
5. सिविल सर्जन, ट्रामा सेंटर, जिला शिवपुरी।
6. कोषालाय अधिकारी, जिला शिवपुरी।
7. डॉ0 आलोक श्रीवास्तव, 155, सरस्वती नगर यूनिवर्सिटी रोड ग्वालियर म0प्र0।
8. आर्डर बुक।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक/1–जी/विज्ञप्त/सेल–2/2015/559 भोपाल, दिनांक 24/06/2015

// आदेश //

डॉ0 शैलेन्द्र दीवान, चिकित्सा अधिकारी, सा0स्वा0केन्द्र बोहरीबंद, जिला कटनी, ने पारिवारिक कारणों से शासकीय सेवा करने में असमर्थता व्यक्त करते हुए दिनांक 29.12.2014 से त्यागपत्र आवेदन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कटनी के माध्यम से प्रस्तुत किया गया था।

डॉ0 शैलेन्द्र दीवान, द्वारा दिनांक 22.5.2015 को पुनः आवेदन प्रस्तुत कर अवगत कराया गया है कि उनकी वर्तमान में पारिवारिक परस्थितियां अनुकूल हो गयी है जिसके कारण त्यागपत्र आवेदन वापिस लेते हुए पुनः शासकीय सेवा मे कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति चाही गयी है।

डॉ0 शैलेन्द्र दीवान, चिकित्सा अधिकारी, सा0स्वा0केन्द्र बोहरीबंद, जिला कटनी का त्यागपत्र स्वीकृत पर निर्णय नहीं हुआ है। अतः उनके आवेदन पत्र पर विचारोपरांत म.प्र. सिविल सर्विसेस (पेंशन) रूल्स, 1976 के नियम 24 (10) (1) के अर्न्तगत डॉ0 शैलेन्द्र दीवान,को उनके द्वारा प्रस्तुत त्यागपत्र आवेदन दिनांक 29.12.2014 अमान्य किया जाकर पुनः कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

डॉ0 शैलेन्द्र दीवान, चिकित्सा अधिकारी, सा0स्वा0केन्द्र बोहरीबंद, जिला कटनी का त्यागपत्र आवेदन दिनांक से पुनः कार्यभार ग्रहण करने के मध्य की अवधि को अकार्य दिवस (डाईजनान) घोषित की जाती है यह अवधि किसी प्रायोजन हेतु मान्य नहीं होगी।

<u>स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित ।</u>

24/6/15

(शैलबाला मार्टिन)
अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

क्रमांक/1–जी/विज्ञप्त/सेल–2/2015/560 भोपाल, दिनांक 24/06/2015

प्रतिलिपि – सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल म.प्र.।
2. संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, जबलपुर संभाग जबलपुर ।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कटनी मध्य प्रदेश ।
4. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, मुरार कटनी मध्यप्रदेश ।
5. डॉ0 शैलेन्द्र दीवान, चिकित्सा अधिकारी, सा0स्वा0केन्द्र बोहरीबंद, जिला कटनी, म.प्र. ।
6. आदेश नस्ति ।

अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक/1–जी/विज्ञप्त/सेल–2/2015/ भोपाल, दिनांक /06/2015

// आदेश //

डॉ0 नीलकमल सुहाने एवं डॉ0 श्रीमती रजनी सुहाने, चिकित्सा अधिकारी, जिला कटनी, ने पारिवारिक कारणों से वर्तमान में शासकीय सेवा करने में असमर्थता व्यक्त करते हुए दिनांक 09.09.2014 से त्यागपत्र आवेदन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कटनी के माध्यम से प्रस्तुत किया गया था।

डॉ0 नीलकमल सुहाने एवं डॉ0 श्रीमती रजनी सुहाने, द्वारा दिनांक 05.06.2015 को पुनः आवेदन प्रस्तुत कर अवगत कराया गया है कि उनकी वर्तमान में पारिवारिक परस्थितियां अनुकूल हो गयी है जिसके कारण त्यागपत्र आवेदन वापिस लेते हुए पुनः शासकीय सेवा मे कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति चाही गयी है।

डॉ0 नीलकमल सुहाने एवं डॉ0 श्रीमती रजनी सुहाने जिला कटनी का त्यागपत्र स्वीकृती पर निर्णय नहीं हुआ है। अतः उनके आवेदन पत्र पर विचारोपरांत म.प्र. सिविल सर्विसेस (पेंशन) रूल्स, 1976 के नियम 24 (10) (1) के अर्न्तगत डॉ0 नीलकमल सुहाने एवं डॉ0 श्रीमती रजनी सुहाने, को उनके द्वारा प्रस्तुत त्यागपत्र आवेदन दिनांक 09.09.2014 अमान्य किया जाकर पुनः कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

डॉ0 नीलकमल सुहाने एवं डॉ0 श्रीमती रजनी सुहाने जिला कटनी का त्यागपत्र आवेदन दिनांक से पुनः कार्यभार ग्रहण करने के मध्य की अवधि को अकार्य दिवस (डाईजनान) घोषित की जाती है यह अवधि किसी प्रायोजन हेतु मान्य नहीं होगी।

स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित ।

उप संचालक (विज्ञप्त)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश 2-7-15

क्रमांक/1–जी/विज्ञप्त/सेल–2/2015/ 938 भोपाल, दिनांक 7/06/2015

प्रतिलिपि -- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :--

1. प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल म.प्र.।
2. संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, जबलपुर संभाग जबलपुर ।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कटनी मध्य प्रदेश ।
4. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, कटनी मध्यप्रदेश ।
5. डॉ0 नीलकमल सुहाने एवं डॉ0 श्रीमती रजनी सुहाने, द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कटनी मध्य प्रदेश ।
6. आदेश नस्ति ।

उप संचालक (विज्ञप्त)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

मध्यप्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

मंत्रालय

** आदेश **

भोपाल, दिनांक 22/06/2015

क्रमांक एफ 3-2/2015/सत्रह/मेडि-1 :: राज्य शासन एतद् द्वारा मंत्रि-परिषद् निर्णय दिनांक 02 जून, 2015 के अनुसरण में श्रीमती कुमुदनी बोरकर, ए.एन.एम., सेक्शन रमपुरी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, नैनपुर, जिला मण्डला का दिनांक 10.02.1993 से 12.04.1998 तक कुल 05 वर्ष 2 माह 1 दिवस के अनाधिकृत अनुपस्थिति को अकार्य दिवस (डायजनॉन) के रूप में स्वीकृत करता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार

(डॉ. गनी अहमद खॉन)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

मंत्रालय, भोपाल

सतपुड़ा भवन भोपाल (म.प्र.)
23 JUN 2015
आवक क्रमांक 1022

पृष्ठां.क्रमांक एफ 3-2/2015/सत्रह/मेडि-1, भोपाल, दिनांक 22/06/2015

प्रतिलिपि :-

1. विशेष सहायक/निज सचिव, माननीय मंत्रीजी/राज्यमंत्रीजी, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, भोपाल ।
2. प्रमुख सचिव (समन्वय) मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल ।
3. स्टाफ आफीसर/निज सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल ।

....

4. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर,
5. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश भोपाल की ओर अग्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड कराने हेतु संबंधितों को निर्देशित करने का कष्ट करें,
6. संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, जबलपुर संभाग, जबलपुर,
7. संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन, जबलपुर,
8. जिला कोषालय अधिकारी, मण्डला,
9. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, मण्डला,
10. श्रीमती कुमुदनी बोरकर, ए.एन.एम., सेक्शन रमपुरी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, नैनपुर, जिला मण्डला की ओर सूचनार्थ/पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्य प्रदेश

क्र./01 जी/विज्ञप्त/सेल–05/2015/ भोपाल, दिनांक /06/2015

–:: आदेश ::–

संचालनालय के आदेश क्रमांक 01 जी/विज्ञप्त/सेल–5/2014/1653 दिनांक 19.09.2014 के द्वारा डॉ नेहा परनामी, चि0अ0 जिला सीहोर की पदस्थापना सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नसरूल्लागंज की गई थी।

संचालनालय के आदेश क्रमांक 01 जी/विज्ञप्त/सेल–5/2015/637 दिनांक 07.05.2015 के द्वारा डॉ नेहा परनामी, चि0अ0 के पदस्थापना स्थल में आंशिक संशोधन करते हुए पदस्थापना जिला चिकित्सालय सीहोर की गई है।

डॉ नेहा परनामी, चि0अ0 के आदेश दिनांक 19.09.2014 से आदेश दिनांक 07.05.2015 के परिपालन में जिला चिकित्सालय सीहोर में कार्यग्रहण करने के मध्यम की अनुपस्थित अवधि को एतद् द्वारा तत्काल प्रभाव से डाइजनॉन (dies non) मान्य किया जाता है।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होंगे।

स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित

(शैलबाला मार्टिन)
अपर संचालक(प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

पृ0क्र./01 जी/विज्ञप्त/सेल–05/2015/820 भोपाल, दिनांक 17/06/2015

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन,लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,मंत्रालय,वल्लभ भवन भोपाल।
02. संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें भोपाल संभाग, म0प्र0।
03. जिलाध्यक्ष, जिला सीहोर मध्य प्रदेश ।
04. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सीहोर म0प्र0।
05. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक,जिला चिकित्सालय सीहोर म0प्र0।
06. जिला कोषालय अधिकारी, जिला सीहोर म0प्र0।
07. उपरोक्त संबंधित अधिकारी डॉ नेहा परनामी, चि0अ0 जिला चिकित्सालय सीहोर द्वारा सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला चिकित्सालय सीहोर,म0प्र0।
08. प्रभारी एम0आई0एस0, विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
09. आदेश नस्ती।

17/6/15

अपर संचालक(प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्य प्रदेश

क्र./01/विज्ञप्त/सेल–5/2015/ भोपाल, दिनांक /2/2015

–: आदेश :–

डॉ बबीता तौमर, चि0अ0 सिविल अस्पताल अम्बाह में प्रथम नियुक्ति दिनांक 05.09.2013 से पदस्थ होकर कार्यरत थी , वर्ष 2014 में प्री0पीजी परीक्षा मे चयन उपरांत डॉ बबीता तौमर, स्वयं के व्यय पर चिकित्सा महाविद्यालय ग्वालियर में माइक्रोबाइलॉजी विषय स्नातकोत्तर अध्ययनरत् हैं।

डॉ बबीता तौमर, चि0अ0 द्वारा अध्ययन पूर्ण होने के उपरांत पुनः सेवा में लिए जाने हेतु अनुरोध किया गया, विचारोपरांत डॉ बबीता तौमर, चि0अ0 को स्नातकोत्तर अध्ययन पूर्ण होने के उपरांत पुनः सि0अ0 अम्बाह में कार्यग्रहण करने की अनुमति प्रदान की जाती है। इनकी सि0अ0 अम्बाह से अनुपस्थिति दिनांक से अध्ययन पूर्ण करने के उपरांत सि0अ0 अम्बाह में उपस्थिति दिनांक के मध्य की अवधि को अकार्य दिवस (डाइजनान) मान्य किया जाता है।

प्रमुख सचिव(स्वास्थ्य) द्वारा अनुमोदित

(डॉ जे0पी0खरे)
उप संचालक(विज्ञप्त)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्य प्रदेश

पृष्ठा. क्र./01/विज्ञप्त/ सेल–5/2015/ 266 भोपाल, दिनांक 12/2/2015

प्रतिलिपि : – सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

01. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन,लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,मंत्रालय,वल्लभ भवन भोपाल।
02. मिशन संचालक(एन0एच0एम0),तृतीय तल, बैंक ऑफ इण्डिया भवन,जेल रोड, भोपाल।
03. संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवायें, ग्वालियर संभाग म0प्र0।
04. जिलाध्यक्ष, जिला मुरैना मध्यप्रदेश ।
05. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला मुरैना म0प्र0।
06. जिला कोषालय अधिकारी, जिला मुरैना म0प्र0।
07. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला चिकित्सालय मुरैना, म0प्र0।
08. संबंधित चिकित्सक डॉ बबीता तौमर, चि0अ0 सिविल अस्पताल अम्बाह द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला मुरैना ।
09. मा0 श्री शिवमंगल सिंह तौमर, पूर्व विधायक, विधानसभा क्षेत्र दिमनी, जिला मुरैना म0प्र0।
10. प्रभारी (एम0आई0एस0), स्थानीय कार्यालय, विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
11. आदेश नस्ती।

उप संचालक(विज्ञप्त)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्य प्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्य प्रदेश

क्र./01/विज्ञप्त/सेल–5/2015/ भोपाल, दिनांक /1/2015

–: आदेश :–

लोक सेवा आयोग से चयन पश्चात, शासन आदेश क्रमांक 2–2/2011/सत्रह/मेडि–एक दिनांक 19.04.2011 के द्वारा सरल क्रमांक 178 अनुसार डॉ अंकिता शर्मा की पदस्थापना सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गुढ़ जिला रीवा की गई थी। डॉ अंकिता शर्मा, चि0अ0 द्वारा गुढ में उपस्थित दी गई एवं 03–04 माह तक कार्य संपादित किया गया ।

डॉ अंकिता शर्मा, चि0अ0 का चयन डी0ओ0एम0एस0 अध्ययन हेतु होने के कारण डॉ अंकिता शर्मा, निरंतर कार्य संपादित नहीं कर सकी। डॉ अंकिता शर्मा द्वारा डी0ओ0एम0एस0 पूर्ण करने के उपरांत पुनः कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति चाही है।

विभाग में चिकित्सकों की कमी एवं डी0ओ0एम0एस0 शैक्षणिक योग्यता की उपयोगिता के दृष्टिगत् डॉ अंकिता शर्मा, चि0अ0 को सिविल अस्पताल त्यौथर जिला रीवा में कार्यग्रहण करने की अनुमति प्रदान की जाती है। डॉ अंकिता शर्मा चि0अ की सा0स्वा0के0 गुढ़ जिला रीवा से अनुपस्थिति दिनांक से सिविल अस्पताल त्यौंथर में कार्यग्रहण करने की दिनांक तक की अवधि को अकार्य दिवस (डाइजनॉन) मान्य किया जाता है।

स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित

/
(शैलबाला मार्टिन)
अपर संचालक(प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्य प्रदेश

पृष्ठा. क्र./01/विज्ञप्त/ सेल–5/2015/ 73 भोपाल, दिनांक 13 /1/2015

प्रतिलिपि : – सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

01 प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन,लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,मंत्रालय,वल्लभ भवन भोपाल।
02. मिशन संचालक(एन0एच0एम0),तृतीय तल, बैंक ऑफ इण्डिया भवन,जेल रोड, भोपाल।
03. संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवायें, रीवा संभाग म0प्र0।
04. जिलाध्यक्ष, जिला रीवा मध्यप्रदेश ।
05. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला रीवा म0प्र0, आवश्यक कार्यवाही हेतु।
06. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला रीवा म0प्र0।
07. जिला कोषालय अधिकारी, जिला रीवा म0प्र0।
08. प्रभारी अनाधिकृत अनुपस्थित शाखा, स्थानीय कार्यालय,म0प्र0।
09. संबंधित डॉ अंकिता शर्मा, चि0अ0 द्वारा 27/331, गुढ़ रोड, नियर झंकार सिनेमा, जिला रीवा, 486001, म0प्र0।
10. प्रभारी (एम0आई0एस0), स्थानीय कार्यालय, विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
11. आदेश नस्ती।

13/1/15

अपर संचालक(प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
म0प्र0

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्य प्रदेश

क्र./01 जी/विज्ञप्त/सेल-05/2015/ भोपाल, दिनांक /01/2015

-:: आदेश ::-

संचालनालय के आदेश क्रमांक /01/विज्ञप्त/सेल-5/2010/2153 दिनांक 17.12.2010 के द्वारा डॉ श्रीमती रेखा त्रिपाठी, स्त्रीरोग विशेषज्ञ, जिला चिकित्सालय सतना का स्थानांतरण जिला चिकित्सालय पन्ना किया गया था , डॉ श्रीमती रेखा त्रिपाठी, द्वारा दिनांक 27.12.2010 को जिला चिकित्सालय पन्ना में उपस्थित दी गई तत्पश्चात् वे कर्तव्य से अनुपस्थित हो गई ।

डॉ श्रीमती रेखा त्रिपाठी, स्त्रीरोग विशेषज्ञ द्वारा दिनांक 13.01.2013 को स्वैच्छि सेवा निवृत्ति हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया, संचालनालय के पत्र क्रमांक 1जी/विज्ञप्त/सेल-2/2014/742 दिनांक 29.05.2014 के द्वारा विभाग में चिकित्सकों की कमी के दृष्टिगत् , डॉ रेखा त्रिपाठी, का स्वैच्छि सेवा निवृत्ति आवेदन अमान्य करते हुए पुनः कार्य पर उपस्थित होने के निर्देश दिए गए।

डॉ श्रीमती रेखा त्रिपाठी, स्त्रीरोग विशेषज्ञ द्वारा स्वयं की पारिवारिक परेशानियों के दृष्टिगत् स्वयं की पदस्थापना जिला चिकित्सलय सतना किए जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया । विचारोपरांत डॉ रेखा त्रिपाठी, स्त्रीरोग विशेषज्ञ जिला चिकित्सालय पन्ना की पदस्थापना एतद् द्वारा तत्काल प्रभाव से अन्य आगामी आदेश तक जिला चिकित्सालय सतना की जाती है।

डॉ श्रीमती रेखा त्रिपाठी, स्त्रीरोग विशेषज्ञ की दिनांक 27.12.2010 से जिला चिकित्सालय सतना में कार्यग्रहण करने की अवधि को अकार्य दिवस (डाइजनान) मान्य किया जाता है।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होंगे।

<u>प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य द्वारा अनुमोदित</u>

(शैलाबाला मार्टिन)
अपर संचालक(प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

पृ0क्र./01 जी/विज्ञप्त/सेल-05/2015/ 09 भोपाल, दिनांक 6/01/2015

प्रतिलिपिः- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01 विशेष सहायक मान. मंत्री जी लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ,मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल. ।
02. विशेष सहायक मान. राज्य मंत्री जी लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
03. निज सहायक, प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन,लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,मंत्रालय,वल्लभ भवन भोपाल।
04. मिशन संचालक(एन0एच0एम0),तृतीय तल, बैंक ऑफ इण्डिया भवन,जेल रोड, भोपाल।
05. संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें सागर संभाग म0प्र0।
06. जिलाध्यक्ष, जिला पन्ना/सतना मध्यप्रदेश ।
07. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला पन्ना/सतना,म0प्र0।
08. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक,जिला चिकित्सालय पन्ना/सतना म0प्र0।
09. जिला कोषालय अधिकारी, जिला पन्ना/सतना म0प्र0।
10. उप संचालक(शिकायत/अना0अनुपस्थित) , स्थानीय कार्यालय,भोपाल,म0प्र0।
11. उपरोक्त संबंधित , डॉ श्रीमती रेखा त्रिपाठी, स्त्रीरोग विशेषज्ञ जिला चिकित्सालय पन्ना द्वारा सिविल सर्जन ह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला चिकित्सालय पन्ना म0प्र0 ।
12. प्रभारी एम0आई0एस0, विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
13. आदेश नस्ती।

06/1/15

अपर संचालक(प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश